





फर्द अहकाम

2024
191

कैलाश वर्ग 0 बनाम अजय वर्ग 0

क्र. संख्या: 921/2024

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09.04.2024	<p>वकील वादीगण ने दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 15.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) </p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अथवा वकील वादी के प्रतिवादीगण की तलवी रजिस्ट्रार एंडी तलबाना पेश करने हेतु दिनांक 9/4/2024 को अधिसूचित किया गया प्रतिवादीगण को दिनांक 12/4/24 को नोटिस जारी कर वकील वादी को रजिस्ट्रार कराने हेतु दिखे गये। वकील वादी ने आगामी पेशी पर रजिस्ट्रार पोस्ट ऑफीस रजिस्ट्री रखी है पेश नहीं की गई। वकील वादीगण को दिनांक 15/5/24 को पोस्ट ऑफीस रजिस्ट्री रखी है व हेरिपोर्ट पेश कर्ते हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर हिदायत दी गई थी कि आगामी पेशी पर पोस्ट ऑफीस रजिस्ट्री रखी है पेश नहीं कर्ते पर अन्तर्गत 09 R 5 CPC के तहत कार्यवाही अमरु में लाई जायेगी। वकील वादी ने अकहार रजिस्ट्री रखी है पेश नहीं की गई। अतः वादीगण ने आदेश 39 R 3 CPC की पालना नहीं की है। वादीगण का पाद अन्तर्गत 09 R 5 CPC के तहत अद्यत तकमीक NON-compliance में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से फर लेका बाद तकमीक दालिद दफतर को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सामान्य) </p>	<p style="text-align: right;">  1736-1734 12/4/24 </p> <p style="text-align: right;">  (अधिकारी) </p>

15/5/24

22/5/24